तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6423/2006/नागौर मंगाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री एस.पी. सिह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–16.07.2025

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा प्रकरण संख्या 150/2005 बउनवानी मंगाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 21–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार का तर्क है कि दौरान वाद प्रतिवादी व उसके अधिवक्तागण हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये और उक्त आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जो दिनांक 21–08–2006 को स्वीकार कर लिया लेकिन निर्धारित दिवस को हाजिर नहीं आने का कोई समुचित कारण नहीं बताया और ना ही आवेदन स्वीकार करने का सकारण आदेश पारित किया। किस तारीख को प्रार्थी को एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी हुई कोई कथन नहीं किया। जानबुझकर लम्बे समय तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए और देरी से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने के आदेश को निरस्त किया जावे।

अति0 राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के अधिवक्ता अन्यत्र न्यायालय में व्यस्त होने की वजह से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही हुई थी जो विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के माध्यम से उपरोक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा नियमानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए एकपक्षीय आदेश दिनांक 19–11–2005 को एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 23–02–2006 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश विधि सम्मत् तरीके से प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी स्वीकार करते हुए एकपक्षीय आदेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6423/2006/नागौर मंगाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	दिनांक 19-11-2005 को एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 23-02-2006 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपने लघू रूप में है, परन्तु इस सबंध में विधिक स्थिति एवं हमारी सुविचारित राय यह है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में संपूर्ण विचारण ही दो माह में पूर्ण हुआ है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी राज्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्राप्त होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से हस्तगत् निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** सदस्य	